न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉं जिला बून्दी(राज0)

वाद-पत्र संख्या :-66/2020 दायर दिनांक: 09.07.2020

CMS NO:- 2020/00123

पीठासीन अधिकारी :-श्योराम (आर.ए.एस.)

देवीशंकर पुत्र रामदेव जाति बैरवा निवासी केदारा की झौपडियां तहसील नैनवां जिला बून्दी।

-प्रार्थी-

बनाम

1. रामकन्या पुत्री रामदेव हाल पत्नि रामलाल जाति बैरवा निवासी अरनेठा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
2. मनभर पुत्री रामदेव हाल पत्नि हीरालाल जाति बैरवा निवासी बोरदा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
3. प्रहलाद सूरजमल जाति मीणा निवासी केदारा की झौपडियां तहसील नैनवां जिला बून्दी।
4. हनुमान पुत्र कालूजाति मीणा निवासी केदारा की झौपडियां तहसील नैनवां जिला बून्दी।
5. गोरधन पुत्र कालू जाति मीणा निवासी केदारा की झौपडियां तहसील नैनवां जिला बून्दी।
6. बजरंगा पुत्र रामकुंवार जाति मीणा निवासी केदारा की झौपडियां तहसील नैनवां जिला बून्दी।
7. श्रीमान शाखा प्रबन्धक महोदय, बैंक ऑफ बडौदा, शाखा जरखोदा तहसील नैनवॉं जिला बून्दी।
8. श्रीमान शाखा प्रबन्धक महोदय, बैंक ऑफ बडौदा, शाखा करवर तहसील नैनवॉं जिला बून्दी।
9. राजस्थान सरकार भू-स्वामी जर्ये तहसीलदार साहब नैनवां जिला बून्दी।

-अप्रार्थीगण-

वाद पत्रः- अंतर्गत धारा 251 एआर.टी एक्ट

उपस्थिति-

प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक 22.11.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम केदारा की झौपडिया पटवार मण्डल आंतरदा तहसील नैनवां में भूमि प्रार्थी के खाता संख्या 43 के खसरा संख्या 41 रकबा 05 बीघा 01 बिस्वा कृषि भूमि स्थित है। यह कि ग्राम केदारा की झौपडिया पटवार मण्डल आंतरदा तहसील नैनवां में भूमि अप्रार्थी संख्या 3 के खाता संख्या 60 के खसरा संख्या 269 रकबा 05 बीघा 08 बिस्वा कृषि भूमि स्थित है। यह किग्राम केदारा की झौपडिया पटवार मण्डल आंतरदा तहसील नैनवां में भूमि अप्रार्थी संख्या 4 व 5 के खाता संख्या 188 के खसरा संख्या 40/1 रकबा 08 बीघा व खसरा संख्या 40/2 रकबा 05 बीघा 15 बिस्वा कृषि भूमि स्थित है। यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि खसरा संख्या 41 पर आने जाने का एक रास्ता करवर से केदारा की झौपडिया जाने वाले वाली आम डामर सडक के पश्चिमी ओर स्थित भूमि खसरा संख्या 269 की उत्तरी मेड के सहारे सहारे होता हुआ खसरा संख्या 40 की पूर्वी मेड के सहारे सहारे होता हुआ प्रार्थी की खसरा संख्या 41 तक पहुंचता है जिसे नक्शा परिशिष्ट अ में लाल स्याही से अ, ब, स के रूप में दर्शाया है। यह कि प्रत्यार्थीगण संख्या 2 लगायत 6 के मन में बदयानित आ गई है इस पर प्रत्यार्थीगण संख्या 2 लगायत 6 ने अवैध व अनाधिकृत रूप से गत सप्ताह से बलपूर्वक रास्ता अवरूद्व करने पर आमदा है। यह कि उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी [illegible] जमीन पर आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। इसलिए प्रार्थी को अपने खाते की भूमि [illegible] आने जाने व कृषि उपज लाने ले जाने के लिऐ रास्ता दिलाया जाना आवश्यक है। [illegible] जमा करवाने को तैयार

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:39:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)





Scanned with CamScanner

...र्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में परिशिष्ट अ,नकल जमाबंदी, नकल नक्शा ट्रेस तथा ...पत्र आदि पेश किये।

प्रत्यार्थीगण 7 व 8 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि खसरा संख्या 41 पर ...ी देवीशंकर का संयुक्त हिस्सा 1/3 ने अप्रार्थी संख्या 7 बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा जरखोदा से किसान क्रेडिट कार्ड का ऋण ले रखा है। खसरा संख्या 40/1 रकबा 08 बीघा व खसरा संख्या 40/2 रकबा 05 बीघा 15 बिस्वा पर अप्रार्थी संख्या 4 हनुमान हिस्सा 1/3 व अप्रार्थी संख्या 5 गोरधन हिस्सा 2/3 ने अप्रार्थी संख्या 8 बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा करवर से किसान क्रेडिट कार्ड का ऋण ले रखा है। जिसका अंकन जमाबन्दी में हो रहा है। यदि रहन भूमि का रकबा ऋण चुकारा होने से पूर्व कम किया जाता है तो बैंक का ऋण दुष्प्रभावित व अपूर्तनीय हानि होगी।

रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में तहसीलदार नैनवां से रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिसके अनुसार प्रार्थी की भूमि तक पहुँचने के लिए प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक सीधा एवं सुगम रास्ता का नहीं है।जिसके अनुसार खसरा संख्या 40/1, 40/2 व 41 तक पहुँचने के लिए खसरा संख्या 269 रकबा 05–08 बीघा में से रकबा 02 बिस्वा में होकर खसरा संख्या 1655/40 रकबा 06–00 बीघा में से रकबा 02 बिस्वा दोनों खसरों में पूर्व की मेड के सहारे होते हुए रास्ता दिया जाना उचित है। यह कि प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से डोटेड दर्शाया गया है।

हमने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेज एवं रास्ता रिपोर्ट तहसीलदार नैनवां का अवलोकन किया। पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान केम्प कोर्ट आंतरदा में पेश हुई। उपस्थित पक्षकारान की प्रार्थना पत्र में बहस सुनी गयी। प्रार्थी को रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तहसीलदार नैनवां ने भी अपने जवाब/रिपोर्ट में प्रार्थी को प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस के अनुसार रास्ता दिया जाना उचित बताया है। ग्राम केदारा की झौपडिया पटवार मण्डल आंतरदा तहसील नैनवां में भूमि खसरा संख्या 40/1, 40/2 व 41 कृषि भूमि पर पहुंचने के लिए खसरा संख्या 269 रकबा 05–08 बीघा में से रकबा 02 बिस्वा तथा खसरा संख्या 1655/40 रकबा 06–00 बीघा में से रकबा 02 बिस्वा भूमि दोनों खसरों में पूर्व की मेड के सहारे होते हुए , जिसे प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस परिशिष्ट "क" में लाल स्याही से डोटेड लाइन द्वारा अंकित किया गया है, के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। जितनी भूमि रास्ते के उपयोग में आयेगी उतनी भूमि की कीमत का नियमानुसार प्रतिकर राजकोष में जमा होने के उपरान्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किया जावे। नक्शा परिशिष्ठ को परिशिष्ठ 'क' नाम दिया गया है जो न्यायालय निर्णय का अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार नैनवां को आदेशित किया जाता है कि मौके पर रास्ता बहाल कर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शे में दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 22.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां, बूंदी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:39:26 IST
Reason: SelfAttested



Scanned with CamScanner